संख्या-3/2020/4976/सैंतीस-2-2019-1(25)/18टीसी

प्रेषक,

बी. एल. मीणा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र,
पशुपालन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनॉक-17 जनवरी, 2020

विषयः- **पुराने निष्प्रयोज्य एवं नीलाम हुये विभागीय वाहनों के प्रतिस्थापनस्वरूप राज्य पशुधन एवं कृषि संबंधी प्रक्षेत्र योजना के अन्तर्गत नये वाहनों का क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-3283/उ.नि.क्षे./स.कृ.अ./चार-161/2019-20, दिनांक-27.12.2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-'4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-08-राज्य पशुधन कृषि संबंधी प्रक्षेत्र' के मानक मद 14-मोटर गाडियों का क्रय में प्राविधानित धनराशि रू0-28.00 लाख के सापेक्ष पुराने निष्प्रयोज्य एवं नीलाम हुये विभागीय वाहनों के प्रतिस्थापन स्वरूप डी.जी.एस. एण्ड डी./जेम पोर्टल द्वारा अनुमोदित दरों पर 04 महिन्द्रा बोलेरो माडल एलएक्स पावरप्लस बी.एस.-4 एबीएस एबी नान ए.सी. डीजल वाहनों के क्रय हेतु रू0-6,46,026.00 की दर से कुल रू0-25,84,104.00 (रूपये पच्चीस लाख चौरासी हजार एक सौ चार मात्र) का व्यय किये जाने की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) क्रय किये जाने वाले वाहनों का क्रय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेशों में निहित व्यवस्था/सीमान्तर्गत जेम पोर्टल के माध्यम से न्यूनतम दरों पर किया जायेगा।

(2) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत निष्प्रयोज्य वाहनों की नीलामी की धनराशि राजकोष के निर्धारित मद में जमा कर दी गयी है और इसकी पुनरावृत्ति नहीं हुई है।

(3) प्रश्नगत धनराशि का व्यय केवल प्रतिस्थापन स्वरूप वाहन क्रय मद में ही किया जायेगा, किसी अन्य मद में किया गया व्यय अनुमन्य न होगा।

(4) मितव्ययता के दृष्टिगत वाहन गैर लग्जरी माडल का ही क्रय किया जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-'4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-08-राज्य पशुधन कृषि संबंधी प्रक्षेत्र-14-मोटर गाडियों का क्रय' के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0-ई-1-32/दस-2020, दिनांक-14.01.2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(बी. एल. मीणा)
प्रमुख सचिव।

पृ0सं0-3/2020/4976(1)/सैंतीस-2-2019- तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ एवं सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
4. उप निदेशक (प्रक्षेत्र), महानगर, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।